सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 969 राँची, मंगलवार, 26 नवम्बर, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

09 अक्टूबर, 2019

विषय:- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के संबंध में।

संख्या - खा.प्र. 01/रा.खा.सु. (DGRO) 7-15/2015 – 3001-- राज्य में माह अक्टूबर 2015 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। अधिनियम की धारा-8 में लाभुकों को खाद्यान्न न मिलने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिये जाने का प्रावधान है। इस निमित्त भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा "खाद्य सुरक्षा भत्ता नियम 2015" अधिसूचित की गई है (परिशिष्ट-I)। इस नियमावली में संबंधित विपणन सत्र के लिए सुसंगत खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा और अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट कीमतों के बीच का अन्तर को आपूर्ति न की गई मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि को खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में गणना की गई है।

2. उल्लेखनीय है कि अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा लाभुकों को खाद्यान्न (चावल एवं गेहूँ) एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध करायी जा रही है। ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना संबंधित विपणन सत्र के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित खाद्यान्न

के न्यूनतम समर्थन मूल्य का 1.25 गुणा में राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत लाभुकों को उस समय में उपलब्ध कराये जा रहे खाद्यान्न का मूल्य जो कि वर्तमान में एक रूपये प्रति किलोग्राम है, को घटाकर अन्तर राशि को आपूर्ति न की गई खाद्यान्न की मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि के रूप में निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3. भविष्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न के उपभोक्ता मूल्य बढ़ाने पर बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य के आलोक में अर्थात् खाद्यान्न के न्यूनतम समर्थन मूल्य के 1.25 गुणा में बढ़े हुए उपभोक्ता मूल्य को घटाकर अन्तर राशि को आपूर्ति न की गई खाद्यान्न की मात्रा से गुणा करने पर आनेवाली राशि के रूप में निर्धारित की जायेगी।

4. इस निमित्त कोई भी लाभुक अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में खाद्यान्न न मिलने, कम खाद्यान्न मिलने इत्यादि की स्थिति में नोडल पदाधिकारी (संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी) के माध्यम से अथवा सीधे लिखित आवेदन अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को दे सकते हैं। अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम से संबंधित समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्पों, अधिसूचनाओं, नियमावली, आदेशों, परिपत्रों, पत्रों इत्यादि के आलोक में जाँचोपरान्त शिकायतों का निवारण करते हुए प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान, दोषियों के विरूद्ध अर्थदण्ड इत्यादि का आदेश पारित करेंगे।

5. उल्लेखनीय है कि विभागीय आदेश संख्या-4530, दिनांक 03.11.2016 (परिशिष्ट-II) के माध्यम से जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु अपनायी जानेवाली प्रक्रियाएँ निर्धारित की गयी है। संबंधित आदेश की कंडिका-4(iii) के अनुसार शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अन्दर जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी उक्त शिकायत की जाँच करते हुए उसका निवारण करेंगे। अगर विशेष परिस्थिति में शिकायत का निवारण निर्धारित अवधि में नहीं किया जा सका है तो सम्पूर्ण कारणों को दर्शाते हुए संबंधित जिला के उपायुक्त से एक माह के लिए अवधि विस्तार प्राप्त किया जा सकता है।

6. अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध कोई भी व्यक्ति 30 दिनों के अन्दर झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची में अपील कर सकते हैं। साथ ही आयोग द्वारा संबंधित अपील का निवारण प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

7. खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए बजट शीर्ष-3456-सिविल पूर्ति-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना/102-सिविल पूर्ति योजना/789-अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना-39-पात्र गृहस्थ योजना-06- अनुदान-52-सबसिडी (18ऽ345600-796/102/789-390652) के अन्तर्गत यथावश्यक अतिरिक्त बजटीय प्रावधान कर या उपलब्ध बजटीय प्रावधान से एकमुश्त राशि (सिर्फ एक बार) सभी जिलों को आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में सभी जिला आपूर्ति कार्यालय में खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के निमित्त एक अलग से बैंक खाता खोला जायेगा जिसमें खाद्य सुरक्षा भत्ता हेतु एकमुश्त राशि रखी जायेगी एवं उक्त बैंक खाता से ही प्रभावित

लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान किया जायेगा। प्रभावित लाभुक को खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान पारित आदेश से 90 दिनों के अन्दर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रभावित लाभुक को भुगतान किये गये खाद्य सुरक्षा भत्ता की राशि के समतुल्य राशि की वसूली जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा पारित आदेश से 90 दिनों के अन्दर दोषी व्यक्तियों से की जायेगी चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। वसूली की गयी राशि को जिला आपूर्ति पदाधिकारी के माध्यम से उसी बैंक खाता में जमा करा दिया जायेगा जिसके माध्यम से खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान प्रभावित लाभुक को किया गया था। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए जिलों को उपलब्ध करायी गयी एकमुश्त राशि ज्यों की त्यों बनी रहेगी एवं इसमें अलग से राशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

9. उक्त परिपेक्ष्य में सभी जिलों को दो लाख रूपये एकमुश्त (सिर्फ एक बार) की राशि खाद्य सुरक्षा भत्ता के भुगतान के लिए आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार इस व्यवस्था से कुल रूपये 48,00,000.00 (रूपये अड़तालीस लाख) मात्र का एकमुश्त वित्तीय भार राजकोष पर पडेगा। यदि किसी जिले को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो उक्त राशि के आवंटन का निर्णय विभाग स्तर से लिया जायेगा।

10. प्रभावित लाभुक को जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा सुनवाई किये गये आदेश के आलोक में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान संबंधित जिला आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भुगतान जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग द्वारा लाभुक को नहीं किया जायेगा एवं इस निमित्त किसी भी प्रकार की राशि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी/झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग को आवंटित नहीं की जायेगी।

11. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 01.10.2019 की बैठक के मद संख्या-02 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 969 -- 50